

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08 पार्ट

जयपुर दिनांक 18/04/2026

:: आदेश ::

माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोनल ब्रान्च, भोपाल में राजस्थान राज्य के लम्बित एवं संस्थित होने वाले समस्त प्रकरणों में राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी हेतु श्री रोहित शर्मा, अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक—MP/1838/2013) को रूपये 38,000/— प्रतिमाह (निश्चित राशि) पर अग्रिम आदेश तक के लिए स्थाई अधिवक्ता (स्टेंडिंग काउंसिल) नियुक्त किया जाता है। श्री शर्मा को उक्त राशि के अलावा कोई अन्य फीस देय नहीं होगी।

श्री शोएब हसन खान, स्थाई अधिवक्ता (स्टेंडिंग काउंसिल), माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोनल ब्रान्च, भोपाल को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(राघवेन्द्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. सेक्रेटरी जनरल, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
4. रजिस्ट्रार, माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोनल ब्रान्च, भोपाल, (म.प्र.)
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राज0, जयपुर।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।
9. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता मय अति0 महाधिवक्तागण/प्रशासक वादकरण /गवर्नमेंट काउन्सिल, जोधपुर/जयपुर।
10. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
13. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
15. श्री शोएब हसन खान, तत्कालीन स्थाई अधिवक्ता (स्टेंडिंग काउंसिल), माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोनल ब्रान्च, भोपाल को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी हेतु आपको आवंटित प्रकरणों की पत्रावलियां श्री रोहित शर्मा, स्थाई अधिवक्ता (स्टेंडिंग काउंसिल) को अविलम्ब संभलवाकर इस विभाग को अवगत करावें।
16. श्री रोहित शर्मा, स्थाई अधिवक्ता (स्टेंडिंग काउंसिल), माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोनल ब्रान्च, भोपाल को प्रेषित कर लेख है कि आप श्री शोएब हसन खान, तत्कालीन स्थाई अधिवक्ता (स्टेंडिंग काउंसिल) से उन्हें राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी हेतु आवंटित प्रकरणों की पत्रावलियां प्राप्त कर, इस विभाग को अवगत करावें।
17. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
18. संबंधित कोषाधिकारी।
19. आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखा शाखा, वादकरण विभाग।
20. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
21. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव, विधि

Signature valid

Digitally signed by Raghavendra
Kachawal
Designation : Principal Secretary To
Government
Date: 2026.04.18 20:13:02 IST

RajKaj Ref No.:
21662992
M e-Sign

